

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

के. ए. 18/11/15

तारीख 14.12.15

प्रकरण संख्या :- 174/15

01. नारायण पिता घीसा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. प्रेमदेवी पत्नि गोपाल जाति मेवाडा उम्र उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.)
02. सीमा पुत्री हेमराज पत्नि रामनाथ जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी मेनाल हाल मुकाम थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 4-5-2015

प्रार्थना पत्र नारायण पिता घीसा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा बिजौलियाँ कंला पटवार हल्का बिजौलियाँ कंला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 575 पर अंकित आराजी संख्या 238/5 रकबा 3-00 बीघा भूमि विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कंला को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। के. ए. 18/11/15

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा बिजौलियाँ कंला पटवार हल्का बिजौलियाँ कंला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 575 पर अंकित आराजी संख्या 238/5 रकबा 3-00 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ

के. ए. 18/11/15

